तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मीरा / मांगी (2017/00036) दिनेश शर्मा – 1 वैभव कृष्ण पारीक केoकेo पुरोहित 2 से 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2018	पत्रावली पेश हुई। अपीo एवं रेस्पोo संo 2 से 5 के अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोo संo 1 की ओर से श्री दिनेश शर्मा, एडo द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाoदीo वास्ते राजीनामा के साथ वकालत नामा पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि का खातेदार चूना उर्फ चुन्नीलाल पुत्र बदरी था जिसके लाऔलाद फौत होने पर विवादित भूमि का नामांतकरण संo 943 दिनांक 20.12.2002 के विरासतन मृतक की बहन रेस्पोo संo 3, 4, 5 क्रमशः फोरी, राजू एवं सुरेश पिता नौला के नाम दर्ज किया गया। इस कार्यवाही के पश्चात से नौला व फोरी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे एवं इन्होनें विवादित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.07.2004 को विक्रय पत्र अपीलांट के नाम किया गया, जिसके आधार पर नामांतकरण संo 1104 दिनांक 29.05.2008 को प्रार्थी/अपीलांट के नाम तस्दीक हो गया था और राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। आगे कथन करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि से रेस्पोo संo 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है। रेस्पोo संo 1 का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है इसलिए विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोo संo 1 कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती है इसलिए अपीo द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिoन्यायाo उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाडा के निर्णय दिनांक 30.03.2011 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाने में रेस्पोo संo 1 को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोo संo 2 के वारिसान एवं 3 से 5 के अभिo द्वारा भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाoदीo प्रस्तुत करते हुए रेस्पोo संo 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर निवेदन किया कि रेस्पोo संo 2 लगायत 5 को अपील स्वीकार की जाने की स्थिति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रति अपीo अभिo को उपलब्ध कराई गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्व प्रथम पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 तथा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाoदीo रेस्पोo संo 2 (छीतर पुत्र कजोड) पर उभयपक्ष अभिo की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अपीo अभिo द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया जाने पर शामिल मिसल किया जावें। तत्पश्चात रेस्पोo संo 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाoदीo वास्ते राजीनामा एवं अपील एवं संबंधित रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि रेस्पोo संo 3 फौरी व नौला के वारिसानों ने विवादित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.07.2004 को विक्रय पत्र अपीलांट के नाम किया गया, जिसके आधार पर नामांतकरण संo 1104 दिनांक 29.05.2008 को प्रार्थीया/अपीलांट के नाम तस्दीक हो गया था और राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया/अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान रेस्पोo संo 1 मांगी द्वारा रेस्पोo संo 3 व नौला द्वारा अपीलांट के पक्ष में विवादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 1104 दिनांक 29.05.2008 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे अपने निर्णय दिनांक 30.03.2011 द्वारा रेस्पोo संo 1 की अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बिजौलिया को नामांतरकरण संख्या 1104 दिनांक 29.05.2008 को नियमानुसार निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। दौराने अपील रेस्पोo संo 1 लगायत 5 ने निरंतर	

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दिनेश शर्मा – 1 वैभव कृष्ण पारीक के0के0 पुरोहित 2 से 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरंतर............ राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1104 दिनांक 29.05.2008 के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाडा का निर्णय दिनांक 30.03.2011 निरस्त किया जाता है एवं पूर्व में क्रेता के नाम स्वीकृत नामांतकरण सं0 1104 दिनांक 29.05.2008 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	